

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 170 / 2021


दिनांक : 12.11.2021

श्रीमती अल्का जोशी (RJ0905), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिपाड़सिटी (जोधपुर जिला, जोधपुर) को दिनांक 15.11.2021 से 24.11.2021 तक 10 दिनों का **संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave)** दिनांक 13.11.2021 से 14.11.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री विजय कुमार बाकोलिया (RJ1425), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिपाड़सिटी (जोधपुर जिला, जोधपुर) को श्रीमती अल्का जोशी के उक्त **अवकाश** की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिपाड़सिटी (जोधपुर जिला, जोधपुर) के पद का **अतिरिक्त कार्यभार** सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा **पदस्थापित/नियुक्त** कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री विजय कुमार बाकोलिया (RJ1425), जिनको वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिपाड़सिटी (जोधपुर जिला, जोधपुर) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (सिर्गीकरण) 12.11.2021

कमांक:-स्था.बी.2 (4)/76/2015/7022

दिनांक : 12.11.2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर को उनके पत्रांक 2823 दिनांक 28.10.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अल्का जोशी (RJ0905), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिपाड़सिटी (जोधपुर जिला, जोधपुर)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिपाड़सिटी (जोधपुर जिला, जोधपुर)।
5. श्री विजय कुमार बाकोलिया (RJ1425), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिपाड़सिटी (जोधपुर जिला, जोधपुर)।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिपाड़सिटी (जोधपुर जिला, जोधपुर)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ. न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार